

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-14/16 51

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/मेदिनीनगर

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 10-06-16.....

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-70-ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80-सामान्य/ 796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70-ई-गवर्नेंस, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49P470180796700759	38.95420	

आवंटित राशि - ₹ अड़तीस लाख पंचानबे हजार चार सौ बीस मात्र।

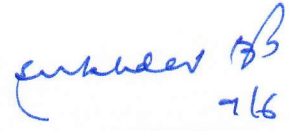
- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़ लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/378/09 पार्ट-II-18/16-17 प्र. स्वी., राँची, दिनांक: 03.06.2016 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट-I के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

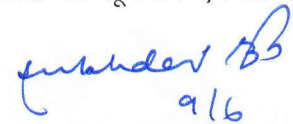
51

राँची, दिनांक :-

10-06-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/मेदिनीनगर/पलामू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

51

राँची, दिनांक :-

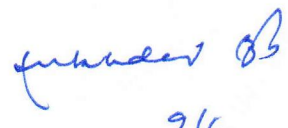
10-06-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना

उप शीर्ष -70-ई. गवर्नेस,

विरस्तुत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय, 49P470180796700759

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि		मार्च 2016 तक व्यय	वर्ष 2016-17 में निर्गत आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन		कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, सँची (DRNMID043)	संची	E-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्स्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान, विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख रखाव, आवश्यक उपकरणों / सामग्रियों का क्रय एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यालय के लिए Computer उपकरण, Photocopier इत्यादि के क्रय हेतु।	1 / पी.एम.सी. / विविध / 378 / 2009 पार्ट-II -18 / 16-17 प्र. स्वी., सँची, दिनांक: 03.06.2016	38.95420	0.00	0.00000	36.35920	36.35920	36069	
2	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी शिविर मेदिनीनगर (PLMAR009)	मेदिनीनगर				0.00	0.00000	2.59500	2.59500	36070	
कुल योग						0.00	0.00000	38.95420	38.95420		
आवंटित राशि: ₹ अड़तीस लाख पंचानबे हजार चार सौ बीस मात्र।											
आवंटित राशि परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यो हेतु।											

आवंटित राशि: ₹ अड़तीस लाख पंचानबे हजार चार सौ बीस मात्र।

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(मुक्ति प्रधान चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह) 9/6

प्रधान सचिव

पत्रांक :- 5/ दिनांक 10-06-16 का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2

विपत्र कोर्ड - 49P470180796700759

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	अधिष्ठापन का स्थान	संख्या	राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)	E-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान, विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख रखाव, आवश्यक उपकरणों / सामग्रियों का क्रय एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यालय के लिए Computer उपकरण, Photocopier इत्यादि के क्रय हेतु।	14 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक के भुगतान हेतु।	विभागीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत	14	3055920			
			Sub Total					3055920	
			Materials and accessories required for MIS Cell	MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi	LS	300000			
			Toner for Photo Copier						
			Cartridge for Printer						
			Cartridge for Color Printer						
			Paper (A4) & Legal Size (75g/m ²)						
			Pen Drive/Extrnal Hard Disk						
			Plastic Folder and Binding Material						
			CD (Recordable and Rewritable)						
			Software Books, Stationary etc.						
			Annual Maintenance & Repair of equipment i.e. Photo Copier, Computer, Printer, UPS, Battery, Elecrical installation and TATA PHOTON Internet monthly rental payment etc. of MIS Cell, Nepal House, Ranchi		LS	200000			
			Repair/Maintenance and Internet monthly rental payment of e-procurement cell	e-Procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi	LS	80000			
Sub Total					580000				
Total					3635920				
2	औसत निर्माण प्रमंडल, पॉली सिविल मेदिनीनगर (PLMIR009)	Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान, विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख रखाव, आवश्यक उपकरणों / सामग्रियों का क्रय एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यालय के लिए Computer उपकरण, Photocopier इत्यादि के क्रय हेतु।	Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuration - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	2	108000			
			UPS - 600 VA		2	5000			
			Laser Printer (HP 1020)		2	16000			
			Photocopier (Duplex) with Stablizer & Wooden Trolley (Digital Copier with Printer (Size A-3)		1	90000			
			Scanner (Canon LiDE 110) (A4 Size)		1	3500			
			Laser Color Printer		1	20000			
			Fax Machine (HP Laser)		1	17000			
			Total					259500	
Grand Total					3895420				

कुल राशि:- ₹ अड़तीस लाख पंचानबे हजार चार सौ बीस मात्र।

कुल राशि:- ₹ अड़तीस लाख पंचानबे हजार चार सौ बीस मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव